# पुलिस आदेश 325 / 2023

**विषय : बिहार पुलिस हस्तक के अनुरूप केसों के अन्वेषण में पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को सुदृढ़ करने के संबंध में।**

बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में केसों के अन्वेषण को नियंत्रित करने वाले पुलिस पदाधिकारियों का वर्गीकरण है। अन्वेषण नियंत्रण से तात्पर्य केस के पर्यवेक्षण, प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण उपरान्त अंतिम आदेश पारित करने से है। केसों के अन्वेषण को नियंत्रित करने के लिए पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वरीय पदाधिकारी अन्वेषण की गुणवत्ता एवं इसे ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित कराते हैं। वर्तमान में केसों के अन्वेषण को निर्धारित चार श्रेणी के पदाधिकारियों की जगह मात्र दो श्रेणी के पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्यवेक्षण एवं निष्पादन में विलम्ब हो रहा है तथा अन्वेषण की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस परिपेक्ष्य में केसों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की व्यवस्था की समीक्षा कर यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. अन्वेषण पर नियंत्रण के संबंध में बिहार पुलिस हस्तक में पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्नवत हैं:–

(क) पेशेवर अपराध से जुड़े केसों के अन्वेषण पर पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण हेतु पुलिस हस्तक का परिशिष्ट 03 विशेष प्रतिवेदित मामलों को अपराध शैली के आधार पर दो श्रेणियों अर्थात् ''अ'' और ''ब'' में विभाजित करता है। इस परिशिष्ट में वर्णित केसों का नियंत्रण पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाना है। ''अ'' श्रेणी के मामलों में पुलिस अधीक्षक को सीधा नियंत्रण एवं विशेष प्रतिवेदन निर्गत करना है। ''ब'' श्रेणी के केसों में विशेष प्रतिवेदन निर्गत करने के कार्य को पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सौंपा जा सकता है। पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से प्राप्त विशेष प्रतिवेदन को अपने अभ्युक्ति के साथ पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप–महानिरीक्षक को प्रेषित करेंगे।

(ख) पुलिस हस्तक के नियम 48(अ)(क) में यह उल्लेख है कि परिशिष्ट 3 में दिए गए विशेष प्रतिवेदित केसों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य महत्वपूर्ण केसों का भी पर्यवेक्षण कर सकेंगे।

(ग) पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपे गये ''ब'' श्रेणी के विशेष प्रतिवेदित केसों का नियंत्रण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी करेंगे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपे गए अन्य महत्वपूर्ण केसों का भी नियंत्रण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी करेंगे।

(घ) अंचल निरीक्षकों द्वारा केसों के नियंत्रण के संबंध में नियम 173(ग)(iii) उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य केसों को उनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस निरीक्षक द्वारा नियंत्रण का आदेश दे सकेंगे।

(ङ) नियम 173 (ग)(iv) में दिए गए प्रावधान अनुसार थानाध्यक्ष उपरोक्त के अलावा अन्य सामान्यतः साधारण प्रकृति के केसों का नियंत्रण करेंगे।

3. वर्तमान में विशेष प्रतिवेदित केसों में सामान्यतः पर्यवेक्षण टिप्पणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा समर्पित की जाती है तथा विशेष प्रतिवेदन एवं अंतिम आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित किया जा रहा है। व्यवहार में प्राथमिकी की धाराओं के आधार पर विशेष प्रतिवेदित केसों को चिन्हित किया जा रहा है तथा जो मामले विशेष प्रतिवेदित नहीं होते हैं उन्हें अविशेष प्रतिवेदित केस चिन्हित कर इन केसों में सामान्यतः पर्यवेक्षण टिप्पणी तथा अंतिम आदेश अंचल

निरीक्षकों द्वारा पारित किया जा रहा है। वर्तमान प्रक्रिया में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विशेष प्रतिवेदित केसों में पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रगति प्रतिवेदन निर्गत करते हैं परन्तु अंतिम आदेश पारित नहीं करते है।

4. केसों के नियंत्रण के संबंध में बिहार पुलिस हस्तक में दिए प्रावधानों तथा व्यवहार में अपनाई जा रही प्रक्रिया में भिन्नता रहने के कारण निम्न कठिनाइयॉ उत्पन्न हो रही हैं:–

(क) बिहार पुलिस हस्तक के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवेदित केसों को विशेष प्रतिवेदित केसों के रूप में चिन्हित करने का आधार अपराध शैली है, परन्तु व्यवहारिकता में प्राथमिकी की धाराओं के आधार पर विशेष प्रतिवेदित केस को चिन्हित किया जा रहा है जिससे विशेष प्रतिवेदित केसों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप पुलिस अधीक्षक पेशेवर अपराध के नियंत्रण पर पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं।

(ख) हस्तक के अनुसार प्रतिवेदित केसों को विशेष प्रतिवेदित केसों में चिन्हित किये जाने का मूल उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण अन्वेषण, उद्भेदन एवं पर्यवेक्षण करते हुए इसे न्यायालय में विचारण तथा अपील के चरण तक अनुश्रवण करना है परन्तु विशेष प्रतिवेदित केसों के अत्यधिक संख्या हो जाने के कारण प्रावधानों का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। साथ ही संख्या अत्यधिक होने के कारण अन्वेषण की गुणवत्ता, केस के उद्भेदन एवं केसों से संबंधित मामले को अपील तक अनुश्रवण करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(ग) परिशिष्ट–3 के श्रेणी 'ब' के मामलों का नियंत्रण पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सौंपा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण केसों का नियंत्रण भी पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया जा सकता है, परंतु इस प्रावधान का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस कारण केसों को नियंत्रण करने का सारा दायित्व पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक पर आ रहा है एवं इनके द्वारा नियंत्रित केसों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है।

(घ) पुलिस हस्तक के अनुसार परिशिष्ट–3 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अथवा पुलिस निरीक्षकों के लिए चिन्हित केसों के अतिरिक्त अन्य सामान्य रूप से साधारण प्रकृति के केसों का नियंत्रण थानाध्यक्ष द्वारा किया जाना है, परंतु इस प्रावधान का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है जिस कारण पुलिस निरीक्षक पर काफी अधिक संख्या में पर्यवेक्षण का दायित्व आ रहा है एवं पुलिस निरीक्षक के कार्यबोझ में काफी वृद्धि हो रही है।

5. उपरोक्त वर्णित कठिनाईयों के परिणामस्वरूप केसों का नियंत्रण सिर्फ दो स्तर, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक स्तर, पर ही हो रहा है जबकि पुलिस हस्तक में चार श्रेणी के पदाधिकारियों यथा–पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष द्वारा केसों का नियंत्रण करने का प्रावधान दिया गया है। उक्त प्रावधानों के प्रभावकारी अनुपालन नहीं होने के कारण केसों के अन्वेषण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तथा पर्यवेक्षण एवं अन्वेषण में विलम्ब हो रहा है।

6. अतः केसों का गुणवत्तापूर्ण अन्वेषण निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने एवं अन्वेषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विचारोपरान्त सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) को निम्नांकित आदेश दिए जाते हैं :–

I. पुलिस अधीक्षक सभी प्राथमिकी की प्रति एक निर्धारित शाखा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाली सभी प्राथमिकी का सर्वप्रथम स्वयं अवलोकन कर इस बिन्दु पर निर्णय लेंगे कि केस विशेष प्रतिवेदित श्रेणी के अंतर्गत है अथवा अविशेष। श्रेणीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक निम्नलिखित कंडिका–II एवं III के प्रावधान अनुसार प्रविष्टि करते हुए संबंधित शाखाओं को भेजेंगे। तत्पश्चात इसकी सूचना संबंधित शाखाओं यथा अपराध शाखा एवं हिन्दी शाखा द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष, अंचल निरीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

II. **विशेष प्रतिवेदित केस**

पुलिस अधीक्षक विशेष प्रतिवेदित केसों को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर चिन्हित करेंगे :–

(क) विशेष प्रतिवेदित केस घोषित करने का निर्णय बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के परिशिष्ट 3 में दी गई अपराध शैली के आधार पर ही किया जाए।

(ख) वैसे अधिनियम जो बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के लागू होने के बाद प्रभाव में आये है, यथा– स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एन0डी0पी0एस0) अधिनियम 1985, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012, बिहार उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 आदि के अन्तर्गत प्रतिवेदित केसों को अपराध शैली के आधार पर ही विशेष प्रतिवेदित केसों के रूप में चिन्हित किया जाय।

(ग) इसके अलावा ऐसे केस जो अंतर्जिला/अंतर्राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हों, जिनमें संगठित गिरोह की संलिप्ता हो, जो पेशेवर प्रकृति का हो, महिला, बालक एवं कमजोर वर्गों पर गंभीर अत्याचार से जुड़े हों, विधि–व्यवस्था/लोक व्यवस्था को प्रभावित करता हो, सामाजिक समरसता विक्षोभित होती हो, बड़ी सरकारी राशि के गबन से जुड़े हों अथवा जिनमें बड़ी राशि के दुर्विनियोग या गंभीर आर्थिक अपराध हों, ऐसे केसों में प्रावधानित दण्ड की अपेक्षा किये बिना उनकी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस अधीक्षक इन्हें विशेष प्रतिवेदित केस घोषित करेंगे।

(घ) 'अ' श्रेणी के विशेष प्रतिवेदित केसों का नियंत्रण पुलिस अधीक्षक स्वयं करेंगे। 'ब' श्रेणी तथा कंडिका 'ख' एवं 'ग' के विशेष प्रतिवेदित केस जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नियंत्रण हेतु नहीं सौंपे गये हों, उन केसों का नियंत्रण भी पुलिस अधीक्षक स्वयं करेंगे। ऐसे केसों में या तो स्वयं पर्यवेक्षण टिप्पणी–सह–प्रतिवेदन–02 समर्पित करेंगे अथवा पर्यवेक्षण टिप्पणी संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को समर्पित करने हेतु निर्देश दे सकेंगे, परंतु विशेष प्रतिवेदन, अंतिम आदेश निर्गत करने एवं अपील तक अनुश्रवण की जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक की ही रहेगी।

(ड़) सभी केस जिनमें अभियोजन स्वीकृति सरकार से प्राप्त किए जाने का अथवा सरकारी सेवक के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किए जाने का प्रावधान है उनको विशेष प्रतिवेदित चिन्हित करते हुए नियंत्रण पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त कंडिका अनुसार किया जाएगा।

(च) 'ब' श्रेणी तथा कंडिका 'ख' एवं 'ग' के विशेष प्रतिवेदित केसों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सौंपे जाने से संबंधित निर्णय पुलिस अधीक्षक लेंगे तथा ऐसे केस जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सौंपे जायेंगे, उनके संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रतिवेदन–1 के माध्यम से निर्देश जारी किया जाएगा। सौंपे गए विशेष प्रतिवेदित केसों में पर्यवेक्षण टिप्पणी, अग्रतर विशेष

प्रतिवेदन तथा अंतिम आदेश एवं अपील तक अनुश्रवण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा।

(छ) उपरोक्त वर्णित मानक अनुसार विशेष प्रतिवेदित काण्ड चिन्हित करते हुए पुलिस अधीक्षक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु लिये गये निर्णय की प्रविष्टि निम्न अनुसार अंकित करेंगे :–

(i) "विशेष प्रतिवेदित(वि0प्र0)–पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण" "SR- SP to supervise and control"

(ii) "विशेष प्रतिवेदित(वि0प्र0)–अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा नियंत्रण" "SR- SDPO to supervise and SP to control"

(iii) "विशेष प्रतिवेदित(वि0प्र0)–अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण" "SR- SDPO to supervise and control"

III. **अविशेष प्रतिवेदित केस**

विशेष प्रतिवेदित केसों को चिन्हित करने के पश्चात बचे हुए जो केस विशेष प्रतिवेदित श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं है उन्हें अविशेष/गैर विशेष केस मानते हुए इनके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्पष्ट आदेश अंकित करेंगे :–

(क) केसों की जटिलता एवं उनके महत्व का आकलन कर पुलिस अधीक्षक विवेकानुसार स्वयं केस का नियंत्रण करने का निर्णय कर सकते हैं। अन्य केसों को अविशेष– अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नियंत्रित अथवा अविशेष– अंचल निरीक्षक नियंत्रित अथवा अविशेष– थानाध्यक्ष नियंत्रित केसों के रूप में चिन्हित (मार्क) किया जाएगा।

(ख) पुलिस अधीक्षक वे केस (इसमें स्थानीय एवं विशेष विधियों के अधीन भी केस शामिल है) जो विशेष प्रतिवेदित (परिशिष्ट 3) नहीं है और जिन्हें 173 (ग)(iii) में पुलिस निरीक्षक हेतु सूचीबद्ध नहीं किया गया है किन्तु महत्वपूर्ण हैं, को पर्यवेक्षण एवं नियंत्रित करने का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आदेश दे सकेंगे। सामान्यतः भा0द0वि0 के अन्तर्गत 07 वर्ष से अधिक सजा वाले अविशेष केस अथवा स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत 03 वर्ष से अधिक सजा वाले अविशेष केसों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया जायेगा।

(ग) पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अंचल पुलिस निरीक्षक नियम 173 (ग)(iii) में सूचीबद्ध केसों, जो विशेष प्रतिवेदित केस के रूप में चिन्हित नहीं किए गए हों, के अन्वेषण का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित अन्य अविशेष प्रतिवेदित केसों के अन्वेषण का भी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। सामान्यतः भा0द0वि0 के अन्तर्गत 03 वर्ष से अधिक तथा अधिकतम 07 वर्ष तक की सजा वाले केस अथवा स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत 03 वर्ष तक की सजा वाले केसों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण पुलिस निरीक्षकों द्वारा किया जायेगा। जहाँ थाना में पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित हैं, वहाँ पुलिस आदेश 175 के प्रावधान अनुसार पु0नि0 –सह– थानाध्यक्ष द्वारा अंचल निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष, दोनों पंक्ति हेतु निर्धारित कार्य करते हुए केसों के नियंत्रण हेतु उपरोक्त इस कंडिका तथा निम्नांकित कंडिका (घ) अनुसार पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण किया जायेगा।

(घ) नियम–173 (ग)(iv) के अनुसार अन्य सभी साधारण प्रकृति के अविशेष प्रतिवेदित केसों में अन्वेषण कार्य 10–15 दिनों में समाप्त कर देना चाहिये और थानाध्यक्ष, जो अन्वेषण कार्य का प्रभारी भी होता है, का विशेष उत्तरदायित्व होगा कि वह इन

केसों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हालत में इन केसों का अन्वेषण एक पखवारे से अधिक लंबित न रहे। पु0नि0–सह–थानाध्यक्ष हेतु उपरोक्त कंडिका में यथोचित निर्देश दिए गए हैं। केस के पंजीकरण को थानाध्यक्ष द्वारा किये जाने मात्र को उनके पर्यवेक्षण/नियंत्रण हेतु उनके हित का टकराव नहीं माना जायेगा।

(ड़) उपरोक्त वर्णित मानक अनुसार अविशेष प्रतिवेदित काण्ड चिन्हित करते हुए पुलिस अधीक्षक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु लिये गये निर्णय की प्रविष्टि निम्न अनुसार अंकित करेंगे :–

(i) "अविशेष प्रतिवेदित(अवि0प्र0)–पुलिस अधीक्षक द्वारा नियंत्रण" "NSR- SP to control"

(ii) "अविशेष प्रतिवेदित(अवि0प्र0)–अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण" "NSR- SDPO to supervise and control"

(iii) "अविशेष प्रतिवेदित(अवि0प्र0)–पुलिस निरीक्षक द्वारा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण" "NSR- Inspector to supervise and control"

(iv) "अविशेष प्रतिवेदित(अवि0प्र0)–थानाध्यक्ष द्वारा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण" "NSR- SHO to supervise and control"

IV. **सामान्य निर्देश**

(क) जिन केसों का अन्वेषण किसी पंक्ति विशेष के पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित हो तो उसका नियंत्रण कम से कम एक पंक्ति के ऊपर के पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के अधीन अंकित केस का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक करते हैं, अतः नियंत्रण पुलिस अधीक्षक करेंगे। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के केस का अन्वेषण पुलिस निरीक्षक से अन्यून पदाधिकारी को नहीं करना है, अतः इसका नियंत्रण पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपाधीक्षक कर सकेंगे।

(ख) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक अथवा थानाध्यक्ष द्वारा नियंत्रित अविशेष प्रतिवेदित केसों का उल्लेख कंडिका III में है। यदि ऐसे केस के अन्वेषण के क्रम में नये तथ्य प्रकाश में आते हैं या घटना की संवेदनशीलता बढ़ने पर अथवा किसी गंभीर घटना में परिवर्तित होने की स्थिति में संबंधी नियंत्री पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक को सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ऐसे केसों के नियंत्रण प्राधिकार में परिवर्तन के संबंध में पुलिस अधीक्षक निर्देश जारी करेंगे।

(ग) यदि कोई नियंत्री प्राधिकार स्वयं द्वारा सत्य पायी धाराओं अथवा अभियुक्तिकरण में बदलाव करते हैं तो इस संबंध में अपने नियंत्री पदाधिकारी को बिना विलम्ब किये अलग से सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए सकारण साक्ष्य के साथ स्पष्ट प्रतिवेदन देंगे एवं इसकी प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपने निर्णय में बदलाव किये जाने पर तद्नुसार इसकी सूचना उनके द्वारा क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक को भेजी जायेगी।

(घ) जहॉ पर नियंत्री पदाधिकारी किसी केस में वादी अथवा साक्षी होंगे अथवा जहाँ पर उनकी हितों का टकराव (Conflict of Interest) हो वहाँ पर पुलिस अधीक्षक निर्णय लेंगे कि केस का नियंत्रण किनके द्वारा किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के किसी केस में वादी अथवा साक्षी होने अथवा हित का टकराव होने पर निर्णय संबंधित क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक द्वारा लिया जायेगा।

(ड़) पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्राधिकार में दर्ज किसी भी केस को उसकी प्रकृति, संवेदनशीलता तथा विधि–व्यवस्था पर उसके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखकर स्वयं नियंत्रित एवं अंतिम आदेश पारित कर सकेंगे।

(च) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश निर्गत होने के पूर्व दर्ज केसों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के संबंध में पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी।

7. सभी पुलिस अधिकारी उपर्युक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। केसों के पर्यवेक्षण/नियंत्रण से संबंधित निर्गत पूर्व पुलिस आदेशों को यथानुरूप अधिक्रमित किया जाता है।

**संदर्भ : बिहार पुलिस हस्तक नियम–48, 48 अ, 54, 61, 164, 173, 1010, परिशिष्ट–3।**

19/8/2023

**पुलिस महानिदेशक**
**बिहार**

**ज्ञापांक 86 / एल०-2**
**बिहार पुलिस मुख्यालय**
**सरदार पटेल भवन, पटना,**

**पटना, दिनांक– 21.08.2023**

**प्रतिलिपि :–**

1. पुलिस महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/प्रशिक्षण/बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस अकादमी/मुख्यालय/आधुनिकीकरण एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो/अपराध अनुसंधान विभाग/बिहार तकनीकी एवं वितन्तु सेवाएँ/अभियान/कमजोर वर्ग/यातायात/आर्थिक अपराध इकाई/विशेष शाखा/ बजट, अपील एवं कल्याण/रेलवे/प्रोविजन/विधि–व्यवस्था/आतंकवाद निरोधक दस्ता एवं मद्यनिषेध, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी क्षेत्रीय महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल/इकाई सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

19/8/2023

**पुलिस महानिदेशक**
**बिहार**